FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई **मुकाम अराई (अजमेर)**

- **रामधन पुत्र श्री उगमा जाति माली निवासी ग्राम आकोडिया तहसील अराई**

–वादी

बनाम

- **गणेश पुत्र श्योचन्द जाति माली निवासी ग्राम आकोडिया तह0 अराई व अन्य**

–प्रतिवादीगण।

किस्म मुकदमा– धारा 136 राज0 का0 अधि0 1955

नंबर /2025

ऑनलाइन नंबर 2025/ ....

वकील वादी:– श्री रामनिवास बैरवा **वकील प्रतिवादीगण........**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
30.1.2025	यह वाद पत्र वादीगण की ओर से वकील वादी श्री रामनिवास बैरवा अन्तर्गत धारा 136 राज.का. अधि. 1955 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगणों की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 21/2/2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई	
21/2/25	पत्रावली पेश हुई आज आर.ए.ओ. मिटिंग .... की ओर से कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21/3/25 को पेश हो।	
21/3/25	पत्रावली पेश हुई आज आर. मिटिंग .... की ओर से कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 25/4/25 को पेश हो।	
25/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप.। [illegible] [illegible] पत्रावली दिनांक 30/5/25 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी अ[illegible]	
30/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। P.O. साहब चुनाव/ कार्य/ तावतार्थ/ दौरे/ अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार जवाब पेरोकार... दिनांक 18/7/25 को पेश हो।	

18/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान [illegible]।
[illegible] चुनाव कार्य/[illegible] कार्य/[illegible] अवकाश
पर [illegible]। पत्रावली [illegible] आनुसार............
दिनांक 26/9/25 को पेश हो।

26/9 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.।
[illegible]
पत्रावली दिनांक 21/11/25 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
अरांई

21/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.।
तहसीलदार [illegible]
पत्रावली दिनांक 21/1/26 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
अरांई

21/1/26 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप.। तहसीलदार [illegible] मौका [illegible] रिपोर्ट प्राप्त। बहस सुनी गई। [illegible] [illegible] किया गया। वादी वकील का [illegible] [illegible] पत्रावली के [illegible] [illegible] तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसला अनुसार [illegible]

(Civil Procedure Code Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अराई)अजमेर(

व इजलास श्रीमति नीतू मीना (आर.ए.एस.)

मु0नं0 06/2025

रामधन पुत्र श्री उगम जाति माली, उम्र लगभग वर्ष, निवासी ग्राम आकोडिया, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान

प्रार्थी

बनाम

1.गणेश पुत्र श्योचन्द, जाति माली, निवासी ग्राम आकोडिया, तहसील अराइ जिला अजमेर, राजस्थान
2 तेजू पुत्र उगमा, जाति नाली, निवांसी ग्राम आकोडिया, तहसील अराई जिला अजमेर, राजस्थान
3.रोडू पुत्र उगमा, जाति नाली, निवासी ग्राम आकोडिया, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान
4 घोसी पत्नि किशना, जाति माली, निवासी ग्राम आकोडिया, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान
5 शोचद पुत्र उगमा, जाति माली, निवासी ग्राम आकोडिया, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान
6.सोराज पुत्र उगमा जाति माली, निवासी ग्राम आकोडिया, तहसील अराई जिला अजमेर, राजस्थान
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् दुरूस्त किये जाने बाबत् राजस्व रिकार्ड

!! निर्णय !!

दिनांकः–2.1.2026

संक्षिप्त मे प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है
1. यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सख्या लगायत 6 के कब्जे काश्त एवं सहखातेदारी की कृषि वाके ग्राम आकोडिया, पटवार क्षेत्र आकोडिया, भूअनिक्षे आकोडिया तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है जो निम्न वर्णित है –

खाता संख्या	खसरा नं.	रकबा
234/पु 190	1498	0.0243 हैक्टेयर

कुल किता 01 का कुल रकबा 0.0243 हैक्टेयर जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा निहित है।

खाता संख्या	खसरा नं.	रकबा
717/पु662	01	1.5452 हैक्टेयर

कुल किता 01 का कुल रकबा 1.5452 हैक्टेयर जिसमें प्रार्थी का 1/16 हिस्सा निहित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1-लगायत 6 की सहखातेदारी कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थी अपने हिस्सा अनुसार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। जिसमें प्रार्थी का नाम रामा की बजाय रामधन दर्ज कर दिया गया था. प्रार्थी का नाम रामा के स्थान पर रामधन नाम की त्रुटि आज तक चली आ रही है। प्रार्थी का सही नाम "रामा" है, किन्तु त्रुटिवश सहवन से राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण दर्ज होने में प्रार्थी का नाम अंकन होते समय "रामधन" लिख दिया गया। प्रार्थी के नाम जारी आधार कार्ड संख्या 875579113937, पहचान पत्र संख्या FNW1275148, राशन कार्ड संख्या 200001489913, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रीमण बैंक की बैंक पासबुक, पैन कार्ड नं. EEUPM4814L] कार्यालय ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र में प्रार्थी का नाम रामा अंकित है तथा खसरा संख्या 1385 1397 व अन्य के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सहवन स रामा ही दर्ज है। प्रार्थी को अपने गलत नाम इन्द्राज की जानकारी हुई जिसके पश्चात प्रार्थी ने पटवारी के माध्यम से उक्त नाम संशोधन की शुद्धि करवानी चाही, लेकिन आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम अंकन नहीं हुआ, प्रार्थी के के नाम की गलत प्रविष्टि आज दिनाक तक इन्द्राज चली आ रही है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के गलत नाम की प्रविष्टि को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त भूमि में प्रार्थी का नाम गलत इन्द्राज होने से प्रार्थी को काफी परेशानियां हो रही है। पैरा संख्या–1 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थी के नाम दर्ज प्रविष्टि "रामधन" के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम से प्रविष्टि "रामा" अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज इन्द्राज दुरूस्त किया जाना आवश्यक है. इसलिये प्रार्थी के लिये अपने नाम दुरूस्ती की घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वाद कारण नवम्बर 2024 में उत्पन्न होने के पश्चात् प्रार्थी के नाम का राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी में सही अंकन नहीं किये जाने से उत्पन्न रहा है जो गलत इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वाद कारण सतत् रूप से जारी है।अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 को उपरोक्त कृषि भूमि में सहखातेदार होने से तथा अप्राथर्थी संख्या 7 को लैण्ड होल्डर होने के कारण मुकदमा पक्षकार बनाया गया है। उपरोक्त कृषि भूमि ग्राम आकोडिया, तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान में माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से इस प्रार्थना पत्र को सुनने का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

वकील प्रार्थी ने पैरा सख्या–1 में वर्णित ग्राम आकोडिया की कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी 'का नाम "रामधन" शून्य घोषित कर सही नाम "रामा" होना घोषित किया जाकर तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी के नाम "रामा" दुरूस्त किया जाकर इन्द्राज दुरूस्त करने के आदेश हेतु निवेदन किया है ।

पत्रावली दिनांक 30.1.2025 को दर्ज रजिस्टर की गई तथा **अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। बाद तामिल नोटिस पत्रावली** दिनांक 25.4.2025 को पेश **हुई। बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय** कार्यवाही की गई । पेरोकार **सरकार का जवाब प्राप्त हुआ ।**

पेरोकार सरकार के जवाब अनुसार ग्राम आकोडिया की वर्तमान सेग्रीगेशन जमाबन्दी सम्वत 2073–76 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी अनुसार वाद अधीन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है–

स0	खाता संख्या	खसरा नं0	रकबा	किस्म	राजस्व रिकार्ड अनुसार खातेदार
	234	1498	0.0243	चाही बाडी	गणेश पुत्र श्योचन्द हिस्सा 1/4 राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा आकोडिया तेजू, रामधन, रोडू पुत्रगण उगमा हिस्सा 3/4 ब.हि. ब. जाति माली सा.देह खातेदार
	योग	किता 01	0.0243		
2	717	01	1.5452	बारानी 3	धीसी पत्नी किशना हिस्सा 1/2 शोचंद पुत्र उगमा हिस्सा 1/4 तेजू पुत्र उगमा हिस्सा 1/16 राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा आकोड़िया रामधन, रोडू, सोराज पुत्रगण उगमा हिस्सा 3/16 ब.हि.व. जाति माली सा देह खातेदार 1.5452
	योग	किता 01	1.5452	—	

1. पत्रावली में संलग्न आधार कार्ड संख्या 875579113937 की छायाप्रंति तथा पेरोकार सरकार जवाब का अवलोकन किया गया । उक्त आधार कार्ड में अंकित सही नाम रामा माली पुत्र उगमा माली निवासी मालीवाडा ढाणी आकोडिया तहसील अराई अंकित है । ग्राम पंचायत आकोडिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार प्रार्थी रामा माली पुत्र श्री उगमा राम माली निवासी आकोडिया का निवासी है तथा इनका सही नाम रामा माली है । बहस वकील वादी सुनी गयी । बहस वकील वादी व पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब तथा पत्रावली के सलंग्न दस्तावेजानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार अरांई को ग्राम आकोडिया तहसील अराई के खसरा नं0 1498, 01 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रामधन के स्थान पर सही नाम रामा दुरुस्त करने के आदेश प्रदान किये जातें है।

!! क्रियात्मक आदेश !!

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज.भू.राज. अधि. 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अरांई को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीया के उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी ग्राम आकोडिया तहसील अराई के खसरा नं0 1498, 01 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रामधन के स्थान पर सही नाम रामा दुरूस्त करने के आदेश दिये जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाये। तहसीलदार अरांई को आदेश पालना की तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 2.1.1.2.6.. को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अंराई(अजमेर)